"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 अगस्त 2005—श्रावण 11, शक 1927

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-191/2005/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की उपधारा (2) तथा धारा 95 के साथ पठित धारा 355 की उपधारा (2) के खण्ड (चार) के उप खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 3 के उपनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"पेंशन नियंत्रक, स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है, संचालक स्थानीय निकाय छत्तीसगढ़, रायपुर और इसमें अपर संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर सम्मिलित है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2005

क्रमांक एफ-4-191/2005/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-191/2005/18, दिनांक 01-08-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, विशेष सचिव.

Raipur, the 1st August 2005

NOTIFICATION

No. F-4-191/2005/18.— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (iv) of sub-section (2) of Section 355 read with sub-section (2) of section 86 and section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Municipal Services (Pension) Rules, 1980, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,—

for sub-rule (c) of rule 3 of the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"Controller of Pension for local bodies" means the Director of local bodies, Chhattisgarh, Raipur and includes the Additional Director, Urban Administration & Development Chhattisgarh, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAY SINGH MHASKEY, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.